	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 01/2019 बअनवान पुखराज वगै. बनाम बाबूलाल वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 18.08.2022

उपस्थिति
1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री मोहम्मद अली
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण पुरोहित

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस ने अपीलांट के पिता द्वारा एस डी ओ पोकरण के समक्ष मुदई राणीदान बनाम मुदायला विक्रमसिंह के वाद प्रस्तुत करना बताया है, जिसमें वादग्रस्त भूमि पर पीढियों से काश्त व काबिज होना बताया है तथा वादग्रस्त भूमि व हिस्सा होना साबित है, सरासर गलत व रेकर्ड के विरूद्ध कथन किया है। जब कि रेस्पोडेंटस की ओर से न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही मान्य न्यायालय में विवादग्रस्त आराजी पर जिला कलक्टर जैसलमेर की न्यायालय में विचाराधीन उजरदारी दिनांक 15.07.1958 से लम्बित रहते बाबूलाल के पिता किसनलाल द्वारा कभी भी कोई आपति या पक्षकार बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई और अपीलांट के पिता राणीदान द्वारा साक्ष्य सबूत पेश कर कलक्टर जैसलमेर द्वारा राणीदान द्वारा प्रस्तुत उजरदारी दिनांक 25.10.1960 के आदेश में भी, यह खेत मुदई सायल के कब्जे में है वो कदीम से काश्त है ओर कामदार ठीकाना पोकरण ने भी अपना जबाव पेश किया है जिससे 120 बीघा का खेत जो खसरा संख्या 399 में वो सायल को वक्त जागीर देना जाहिर किया है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का वक्त सेटलमेंट से ही कब्जा काश्त है। बाबूलाल द्वारा अपना कब्जा साबित करने के उद्देश्य से व न्यायालय को गूमराह करने के उद्देश्य से फोटो प्रस्तुत किये है यहां यह लिखना उचित होगा कि रेस्पोडेंटस के पिता स्व. किसनाराम द्वारा वर्ष 1992 में सिलिंग में अवाप्त भूमि आवंटन हेतु प्राधिकारी अधिकारी पोकरण में भूमि आवंटन की कार्यवाही की गई। प्रार्थना–पत्र में भी यह उल्लेखित है कि मेरे व मेरे सदस्यों के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है। इस संबंध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा हैं जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न लिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2008(1) Page 117
RRT 2010(2) Page 1443
RRT 2011-12(Supp.) Page 298
RRT 2011-12(Supp.) Page 241
RRT 2013(2) Page 828
RRT 2014-15(Supp.) Page 285
RRD 1970 Page 97

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक वहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि रेसपोडेंट संख्या 01 बाबूलाल पुत्र किशनाराम ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया जिसमें मौजा लंवा में खसरा नं. 399 के रकबा की भूमि में 120 बीघा भूमि वक्त लागू होने काश्तकारी अधिनियम से पूर्व व सेटलमेंट से पूर्व की आई हुई थी उक्त भूमि को स्व. धूडाराम व उसके पुत्रान काश्त आदि करते थे सेटलमेंट पूर्व उक्त भूमि के जागीर ठिकाना पोकरण होने से काश्तकार धूडाराम अपनी फसल का हासिल उन्हे अदा करते थे। धूडाराम के दो पुत्र राणीदान व किशनाराम व एक पुत्री जीवणी थी। जीवणी का विवाह राज.. काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले ही हो गया था। अपीलाधीन आराजी वक्त सेटलमेंट राणीदान अकेले के नाम दर्ज हो गई। वादी के पिता किशनाराम का वक्त सेटलमेंट के समय से इस भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा था व उनकी मृत्यु पश्चात वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

DNJ 2019(SC) Page 764
DNJ 2016(SC) Page 517
DNJ 2019(SC) Page 427
DNJ 2019(SC) Page 131
DNJ 2020(Rev.) Page 549
DNJ 2021(1)(Rev.) Page 545
RRD 2018 Page 302

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी की वर्तमान स्थिति में उभयपक्षकारान द्वारा फेर बदल किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है तथा अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 18.08.2022 को सुनाया गया।

(प्रवीण सिलोनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर